

8/20

पत्रावली पेश। वकील वारियां उपरोक्त बचक हेतु अवसर चार्ज आवली अवसर रिया पाता वरि वार्ता बचक 2.9.20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
रायगंजमण्डी

29/20

पत्रावली पेश। वकील वारियां उपस्थित हो बचक सुनी वार्ता आदेश पत्रावली रि० 7-9-20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
रायगंजमण्डी

9/20

पत्रावली पेश। वकील वारियां उपस्थित हो पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। वारिनी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के तथ्य, वैचिदल अनुलोष, एवं वारिनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पर सम्यक विचार किया गया।

बचक विधान अधिवक्ता वारिनी पर विचार किया एवं दौरान बचक विधान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया।

वारिया का कथन है, कि ग्राम उडवा की 2 मि रकबा 1078 रकबा 0.06 हे० पर प्रतिवादी द्वारा अवहन कब्जा कर लिया है। वारिया द्वारा प्रति० का कई बार कब्जा होइने की कहा मगर प्रति० द्वारा किसी की कीमत पर कब्जा नहीं होइने के कथन कर रिये है।

उप खण्ड अधिकारी
रायगंजमण्डी

क्रिया आकर जलित की जाये सम्म लगेव क्रिया गया
जलित वावपूड सूचना अनुपस्थित रहा। लिहाजा
जलित के विरुद्ध एकलफा कामवादी की गई।

एकलफा साक्ष्य वारियाँ पेशा हुईं रौंदाई
साक्ष्य वारियाँ डाप स्वयं के शपथ-पत्र जर्नल 10-1
के साथ नकल जमावेंदी हुआ 2021-24 फालग
नम्बर 4)6 जर्नल-1, दाया जलित रजिस्ट्रि विद्युय

पत्र, जर्नल विमान 2004-24 ग्राम हुआ जर्नल-2
आंशिक नकल नक्या हुआ जर्नल-3 व जर्नल-4

हस्य दाया जलित रजिस्ट्रि विद्युय-पत्र
वारियाँ डाप भैवलाल धाकड़ से साबिक स्वसरा

नम्बर 812 फावा 1)2, 3)11 फावा 9)11)2, 817 की
1)1, 819 की 1)2 2)मि हय की गई थी


हस्य जर्नल विमान उक्त इकि के लान स्वसरा
नम्बर 1065, 1066, 1067, 1078, 1082 व 1085

पेशा क्रिये गये हैं।


उक्त इमि किला (फावा 0.66 हेक्टर
वारियाँ के नाम दर्ज रिकार्ड थी जर्नल 3 व 4
वादागत इकि का राजस्व नक्या थी वारिया
का जयन है. कि किला (फावा 0.66 हेक्टर

इमि में 0.06 हेक्टर इमि स्वतं. 1078 पर
जलित डाप अवाम कबना कट दिया थी

हस्य जर्नल-1 वारिया वादागत इमि
की अभिलिखित स्वातेदा है. इस प्रकार
जर्नल-1 अनुसार वारिया वादागत इकि की



Handwritten signature and blue ink stamp at the bottom center.



अंतिम - डिकरी व मुकद्दमे ~~इस्तख्त~~

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाप्ता दीबानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपावड अधिकारी मुकाम रामगंजमंडी
 व इजलास इशाल दान (I.A.S.)
 मुकद्दमा नं. 73 वनाम प्रभुलाल
 दावा बाबत 183. R.T. Act. 1955
 सन् 2019
 यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू इशाल दान I.A.S.
 मिनजानिब मुद्दई व X

बहाजरी मीधनश्याम घाऊड एड. मिनजानिब मुद्दालाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिकरी बी जाती है कि

वाडु वादिया स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया जावे कि शिवाजी का ग्राम
 303वा मीथमि खसप नम्बर 1078 (कवा) 0.06 टो पर से वेदवली किया जाकर कब्जा
 वारिया को रिलाया जाता है दावा दायरी व वेदवली तक मी अधि का लगान
 0.30 रु. के 15 गुना 4.50 चाल रु. पचास पैसे प्रविष के अनुसार शिवाजी व वेदवली
 किये जाकर वारिया को रिलाया जावे।

बीज X मुबालग X बाबत X
 खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व सरह X फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख वसुलयाबी तक X को अदा करे।
 बसंत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07 माह 09 2020

को जारी की गई।
 मुहर X दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
 ओहदा रामगंजमंडी

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दालाह	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जी वा	1	-	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	1	-	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील पर	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत इजराय हुकमनामा	
बाबत इजराय हुकमनामा	20	मुतफरिफ	
मुतफरिफ	22	मीजान ...		
मीजान....					

नोट-इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, वाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो वा नहीं इन् करवा
 बाहिये।



उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमंडी